सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 1, गुरूवार, शाके 1941 - फरवरी 20, 2020

Phalguna 1, Thursday, Saka 1941- February 20, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (॥)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी
किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.172.-राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.12(56)वित्त/कर/2017-34 दिनांक 22.6.2017 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य कर आयुक्त", के स्थान पर अभिव्यक्ति "मुख्य राज्य कर आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.12(18)वित्त/कर/2020-123]
राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.173.-राजस्थान माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं. 9) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.11(24)वित्त/कर/2016-61 दिनांक 01.07.2017 में इसके द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य कर अपर आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य कर विशेष आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(ii) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य कर संयुक्त आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य कर अपर आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iii) सारणी के क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य कर उपायुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य कर संयुक्त आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(iv) सारणी के क्रम संख्यांक 4 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य कर सहायक आयुक्त" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य कर उपायुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v) सारणी के क्रम संख्यांक 5 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "राज्य कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य कर सहायक आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी;

(v i) सारणी के क्रम संख्यांक 6 के सामने स्तम्भ संख्यांक 3 में विद्यमान अभिव्यक्ति "कनिष्ठ राज्य कर अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य कर अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी;

[प.12(18)वित्त/कर/2020-124]
राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.174.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि,-

1. स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति का निम्नलिखित मामलों में परिहार किया जायेगा, अर्थात्:-

(i) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष लम्बित ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 20.02.2020 से 30.06.2020 तक की कालावधि के दौरान जमा करा दिया गया हो।

(ii) दिनांक 20.02.2020 से 30.06.2020 की कालावधि के दौरान कलक्टर (स्टाम्प) के समक्ष फाइल किये गये ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 20.02.2020 से 30.06.2020 तक की कालावधि के दौरान जमा करा दिया गया हो।

(iii) इस अधिसूचना की तारीख तक कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णीत ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 20.02.2020 से 30.06.2020 तक की कालावधि के दौरान जमा करा दिया गया हो।

(iv) इस अधिसूचना की तारीख तक राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में लम्बित ऐसे मामले जिनमें पक्षकार मामले को प्रत्याहृत कर लेता है और ऐसे प्रत्याहरण का साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है और संदेय स्टाम्प शुल्क दिनांक 20.02.2020 से 30.06.2020 तक की कालावधि के दौरान जमा करा दिया गया हो।

2. ऐसे मामलों में, जहां कलक्टर (स्टाम्प) द्वारा न्यायनिर्णीत स्टाम्प शुल्क इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व ही जमा करा दिया गया है, वहां स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति की रकम में 80 प्रतिशत की कमी अनुज्ञात की जायेगी, यदि ब्याज और शास्ति की शेष 20 प्रतिशत रकम दिनांक 20.02.2020 से 30.06.2020 तक की कालावधि के दौरान जमा करा दी गयी है।

3. राजस्थान कर बोर्ड, राजस्थान उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लम्बित ऐसे मामले जिनमें संदेय स्टाम्प शुल्क की कुल रकम इस अधिसूचना की तारीख से पूर्व ही जमा करा दी गयी है और पक्षकार मामले को प्रत्याहृत कर लेता है और ऐसे प्रत्याहरण का साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है वहां स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति की रकम में 80 प्रतिशत की कमी अनुज्ञात की जायेगी, यदि ब्याज और शास्ति की शेष 20 प्रतिशत रकम दिनांक 20.02.2020 से 30.06.2020 तक की कालावधि के दौरान जमा करा दी गयी है।

4. राजस्थान कर बोर्ड के समक्ष पुनरीक्षण फाइल करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 65 के परन्तुक के अधीन जमा रकम स्टाम्प शुल्क के संदाय के मद्धे समायोजित की जायेगी।

5. उपर्युक्त मामलों में पहले से संदत्त स्टाम्प शुल्क या अन्य रकम प्रतिदत्त नहीं की जायेगी।

[प.4(4)वित्त/कर/2020-125]

राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.175.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-13 दिनांक 31.05.2019 को

अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिक बोर्ड, कृषि उपज मण्डी और मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ द्वारा या राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकारी या उपक्रमों द्वारा आवंटित या उनके द्वारा विक्रीत भूमि के बारे में, निष्पादित पट्टा विलेख या विक्रय विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाया जायेगा और निम्नानुसार प्रभारित किया जायेगा :-

क्र. सं.	**ब्यौरे**	**हस्तान्तरण पत्र की दर पर संदेय स्टाम्प शुल्क**
1.	यदि पट्टा विलेख या विक्रय विलेख 31.12.2020 को या उससे पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है।	प्रीमियम की रकम और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, प्रतिफल के रूप में ऐसी लिखत पर संदत्त अन्य प्रभार और दो वर्ष के औसत किराये की रकम पर।
2.	पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात् 31.12.2020 को या उससे पूर्व यदि पट्टा विलेख या विक्रय विलेख रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है और ऐसे पट्टा विलेख/विक्रय विलेख के निष्पादन के समय संदेय समुचित स्टाम्प शुल्क संदत्त किया जा चुका है।	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 के लिए संगणित की गयी रकम के 115 प्रतिशत पर।
3.	पुनर्विधिमान्यकरण के पश्चात् 31.12.2020 को या उससे पूर्व यदि पट्टा विलेख या विक्रय विलेख रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है और ऐसे पट्टा विलेख/ विक्रय विलेख के निष्पादन के समय संदेय समुचित स्टाम्प शुल्क संदत्त नहीं किया गया है।	उपर्युक्त क्रम संख्यांक 1 के लिए संगणित की गयी रकम के 130 प्रतिशत पर।

परन्तु यह अधिसूचना उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश या कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य न्यायालयों के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित पट्टा विलेखों या विक्रय विलेखों पर भी लागू होगी किन्तु उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के अधीन संदेय स्टाम्प शुल्क ऐसे पट्टा विलेख या विक्रय विलेख की संपत्ति के बाजार मूल्य पर संदेय शुल्क से अधिक नहीं होगा।

[प.4(4)वित्त/कर/2020-126]

राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.176.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना संख्यांक प.2(60)वित्त/कर/2012/पार्ट-14 दिनांक 31.05.2019 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अधीन राज्य सरकार, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास, नगर निगम, नगर परिषद्, नगरपालिक बोर्ड, ग्राम पंचायत और अन्य स्थानीय निकायों द्वारा, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क या किन्हीं अन्य सुसंगत नियमों के अधीन उपर्युक्त स्थानीय प्राधिकारियों के व्ययन पर रखी गयी भूमि के आवंटन या नियमितीकरण के पश्चात्, जारी/निष्पादित पट्टा विलेखों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, निम्नलिखित रूप से घटाया जायेगा और प्रभारित किया जायेगा :-

क्र. सं.	ब्यौरे	हस्तान्तरण पत्र की दर पर संदेय स्टाम्प शुल्क
1.	यदि पट्टा विलेख खातेदार के स्वयं के पक्ष में जारी किया जाता है।	प्रीमियम की रकम, विकास प्रभार और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त अन्य प्रभार पर।
2.	यदि पट्टा विलेख रजिस्ट्रीकृत या सम्यक् रूप से स्टाम्पित लिखत के आधार पर खातेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के पक्ष में जारी किया जाता है।	प्रीमियम की रकम, विकास प्रभार और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त अन्य प्रभार पर।
3.	यदि पट्टा विलेख किसी व्यक्ति के पक्ष में 31.12.2018 को या उससे पूर्व निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखतों के आधार पर जारी किया गया है।	प्रीमियम की रकम, विकास प्रभार, संपरिवर्तन प्रभार और ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में संदत्त अन्य प्रभार पर और दो वर्ष के किराये की औसत रकम पर निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए,- (i) संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय पट्टा विलेख पर पृष्ठांकन करेगा या इस आशय का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा कि पट्टा विलेख 31.12.2018 को या उससे पूर्व निष्पादित अरजिस्ट्रीकृत या अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित लिखतों के आधार पर जारी किया गया है; (ii) संबंधित नगरीय स्थानीय निकाय, ऐसे पट्टा विलेख से संबंधित अचल संपत्ति के संबंध में

		निष्पादित मध्यवर्ती अरजिस्ट्रीकृत और अस्टाम्पित लिखतों की संख्या ऐसे मध्यवर्ती लिखतों की प्रतिलिपियों और उनके निष्पादन की तारीख सहित, एक प्रमाणपत्र जारी करेगा; (iii) पट्टाधारक उसके पट्टा विलेख के साथ रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के समक्ष ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा; और (iv) पट्टा विलेख 31.12.2020 को या उसके पूर्व रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
4.	यदि क्रम संख्यांक 1 से 3 में वर्णित पट्टा विलेख निष्पादन की तारीख से 8 माह के भीतर-भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है किन्तु 31.12.2020 को या उसके पूर्व पुन: वैधता के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है और ऐसे पट्टा विलेख के निष्पादन के समय संदेय उचित स्टाम्प ड्यूटी प्रदत्त कर दी गई है।	उपरोक्त क्रम संख्यांक 3 के लिए संगणित रकम के 115 प्रतिशत पर।
5.	यदि क्रम संख्यांक 1 से 3 में वर्णित पट्टा विलेख निष्पादन की तारीख से 8 माह के भीतर-भीतर रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है किन्तु 31.12.2020 को या उसके पूर्व पुन: वैधता के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत किया गया है और ऐसे पट्टा विलेख के निष्पादन के समय संदेय उचित स्टाम्प ड्यूटी प्रदत्त नहीं की गई है।	उपरोक्त क्रम संख्यांक 3 के लिए संगणित रकम के 130 प्रतिशत पर।

परन्तु यह अधिसूचना रजिस्ट्रीकरण या निर्देशन के लिए उप-रजिस्ट्रार के समक्ष या न्यायनिर्णयन के लिए कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य न्यायालयों के समक्ष लंबित पट्टा विलेखों पर भी लागू होगी किन्तु उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पूर्व में संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना के अधीन संदेय स्टाम्प शुल्क ऐसे पट्टा विलेख की संपत्ति के बाजार मूल्य पर संदेय शुल्क से अधिक नहीं होगा।

[प.4(4)वित्त/कर/2020-127]

राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)

संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.177.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि परिस्थितियों में ऐसा किया जाना अपेक्षित है, इसके द्वारा आदेश देती है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की विद्यमान दरें 20.02.2020 से पुन:अवधारित की जायेंगी और दस प्रतिशत घटायी जायेंगी।

[प.4(4)वित्त/कर/2020-128]
राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.178.-राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि परिस्थितियों में ऐसा किया जाना अपेक्षित है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक प्रवर्गों की भूमि की दरों का पुनरीक्षण इसके द्वारा निलम्बित करती है और उक्त नियमों के नियम 58 के उप-नियम (3) के उपबन्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागू नहीं होंगे।

[प.4(4)वित्त/कर/2020-129]
राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.179.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(15)वित्त/कर/2014-59 दिनांक 14.07.2014 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 49) की धारा 2 के खण्ड (द) में

यथापरिभाषित संदर्भित दिव्यांगजन के पक्ष में निष्पादित स्थावर संपत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और पांच प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जायेगा।

[प.4(4)वित्त/कर/2020-130]
राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.180.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(15)वित्त/कर/2014-58 दिनांक 14.07.2014 में इसके द्वारा, तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) खण्ड (i) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "तीन प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "चार प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) खण्ड (ii) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "चार प्रतिशत" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पांच प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.4(4)वित्त/कर/2020-131]
राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.181.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम पॉलिसी, 2015 के खण्ड 18 के उप-खण्ड (2) की मद (क) और (ख) में यथावर्णित

रुग्ण उपक्रमों की स्थावर संपत्ति के नीलाम विक्रय के मामले में जारी विक्रय प्रमाणपत्र की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क नीलाम कीमत पर प्रभारित किया जायेगा:

परन्तु यह अधिसूचना उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य न्यायालयों के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पहले से ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(4)वित्त/कर/2020-132]
राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.182.-रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 16) की धारा 78 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(36)वित्त/कर/2017-74 दिनांक 17.08.2017 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम पालिसी, 2015 के खण्ड 18 के उप-खण्ड (2) की मद (क) और (ख) में यथावर्णित रुग्ण उपक्रमों के पुनरुज्जीवन के प्रयोजन के लिए ऐसे उपक्रमों की स्थावर संपत्ति के अन्तरण की लिखत पर दस हजार रुपये से अधिक प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस का, राजस्थान रुग्ण सूक्ष्म और लघु उपक्रम (पुनरुज्जीवन और पुनर्वास) स्कीम, 2015 के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी हकदारी प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, परिहार किया जायेगा।

[प.4(4)वित्त/कर/2020-133]
राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.183.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.4(3)वित्त/कर/2017-114 दिनांक 08.03.2017 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम पॉलिसी, 2015 के खण्ड 18 के उप-खण्ड (2) की मद (क) और (ख) में यथावर्णित रुग्ण उपक्रमों की स्थावर संपत्ति के अन्तरण की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का, ऐसे उपक्रमों के पुनरुज्जीवन के प्रयोजन के लिए, राजस्थान रुग्ण सूक्ष्म और लघु उपक्रम (पुनरुज्जीवन और पुनर्वास) स्कीम, 2015 के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी हकदारी प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, परिहार किया जायेगा:

परन्तु यह अधिसूचना उप-रजिस्ट्रार के समक्ष रजिस्ट्रीकरण या निर्देश के लिए या कलक्टर (स्टाम्प) या अन्य न्यायालयों के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित लिखतों पर भी लागू होगी किन्तु उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पूर्व में ही संदत्त स्टाम्प शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा।

[प.4(4)वित्त/कर/2020-134]
राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.184.-राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.12(84)वित्त/कर/2009-30 दिनांक 08.07.2019 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि स्थावर संपत्ति के अन्तरण की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क तुरंत प्रभाव से 11 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया जायेगा।

[प.4(4)वित्त/कर/2020-135]
राज्यपाल के आदेश से,

(निशान्त जैन)
संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.185.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/कर/मु./2019-20/2 दिनांक 10.07.2019 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(1) सारणी के क्रम संख्यांक 11 के सामने, स्तम्भ 3 में,-

(i) स्तम्भ 2 की मद (i) के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "चेसिस की लागत का 8.5 प्रतिशत" के स्थान पर प्रविष्टि "चेसिस की लागत का 10 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) स्तम्भ 2 की मद (ii) के सामने, विद्यमान प्रविष्टि "यान की लागत का 7 प्रतिशत" के स्थान पर प्रविष्टि "यान की लागत का 8 प्रतिशत" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(2) परन्तुक के खण्ड (vi) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "1/10" के स्थान पर अभिव्यक्ति "1/4" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[प.6(179)परि/कर/मु./2020-21/2बी]

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)

संयुक्त शासन सचिव

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 20, 2020

एस.ओ.186.-राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 3 के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक प.6(179)परि/ कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.07.2019 में इसके द्वारा, दिनांक 01.03.2020 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी के क्रम संख्यांक 2 के सामने, स्तम्भ 2 में विद्यमान मद (क) और उससे संबंधित स्तम्भ 2 और स्तम्भ 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

	(क) उप-नगरीय मार्ग	
	(i) प्रतिदिन 200 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 150/- प्रति सीट
	(ii) प्रतिदिन 200 कि.मी. से अधिक और 300 कि.मी. तक चलने वाली	प्रति माह रु. 200/- प्रति सीट
	(iii) प्रतिदिन 300 कि.मी. से अधिक चलने वाली	प्रति माह रु. 300/- प्रति सीट

"

(ii) सारणी के क्रम संख्यांक 7 के सामने, स्तम्भ 2 में विद्यमान मद (क) और उससे संबंधित स्तम्भ 2 और स्तम्भ 3 की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"

	(क) गैर-अस्थायी परमिटों पर चलने वाले तीन पहिया से अधिक वाले मोटर यान	
	(i) 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति माह रु. 900/- प्रति सीट
	(ii) 32 से अधिक की बैठक क्षमता के साथ	प्रति माह रु. 775/- प्रति सीट
	(iii) स्लीपर बस	प्रति माह रु. 510/- प्रति सीट

"

(iii) परन्तुक के खण्ड (iv) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "कर अधिकतम 14000/- रुपये प्रति माह" के स्थान पर अभिव्यक्ति ", 22 से अधिक और 32 तक की बैठक क्षमता वाले यान के लिए अधिकतम 10,000/- रुपये प्रति माह और 32 से अधिक की बैठक क्षमता वाले यान के लिए अधिकतम 14,000/- रुपये प्रति माह कर" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(iv) परन्तुक के विद्यमान खण्ड (v ii) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (v iii) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(v iii) क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 2 की मद (ख) के अधीन आने वाले और 32 तक की बैठक क्षमता वाले यान के मामले में, जो दो नगरपालिकाओं के बीच पड़ने वाले मार्ग पर एक दिन में 40 कि.मी. तक चलते हों और ऐसे मार्ग की लम्बाई 10 कि.मी. से अधिक नहीं हो, मोटर यान कर प्रति माह रु. 100/- प्रति सीट की दर से संदेय होगा।"

[प.6(179)परि/कर/मु./2020-21/3सी]
राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खींची)
संयुक्त शासन सचिव

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

Jaipur, February 20, 2020

In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorize the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Finance Department, Tax Division Notification No.F.12(18)FD/Tax/2020-123 to 124, No.F.4(4)FD/Tax/2020-125 to 135 and Transport Department Notification No.F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/2020-21/2B and F.6(179)/Pari/Tax/ Hqrs/2020-21/3C dated February 20, 2020.

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.172.-In exercise of the powers conferred by section 3 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government hereby makes the following amendment in this department's notification number F.12 (56) FD/Tax/2017-34 dated 22.06.2017, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, for the existing expression "Commissioner of State Tax", the expression "Chief Commissioner of State Tax" shall be substituted.

[No.F.12(18)FD/Tax/2020-123]
By Order of the Governor

(Nishant Jain)
Joint Secretary to Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.173.-In exercise of the powers conferred by section 3 of the Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017 (Act No. 9 of 2017), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.11 (24) FD/Tax/2016-61 dated 01.07.2017, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) in column number 3 against serial number 1 of the table, for the existing expression "Additional Commissioner of State Tax", the expression "Special Commissioner of State Tax" shall be substituted;

(ii) in column number 3 against serial number 2 of the table, for the existing expression "Joint Commissioner of State Tax", the expression "Additional Commissioner of State Tax" shall be substituted;

(iii) in column number 3 against serial number 3 of the table, for the existing expression "Deputy Commissioner of State Tax", the expression "Joint Commissioner of State Tax" shall be substituted;

(iv) in column number 3 against serial number 4 of the table, for the existing expression "Assistant Commissioner of State Tax", the expression "Deputy Commissioner of State Tax" shall be substituted;

(v) in column number 3 against serial number 5 of the table, for the existing expression "State Tax Officer", the expression "Assistant Commissioner of State Tax" shall be substituted; and

(vi) in column number 3 against serial number 6 of the table, for the existing expression "Junior State Tax Officer", the expression "State Tax Officer" shall be substituted.

[No.F.12(18)FD/Tax/2020-124]
By Order of the Governor

(Nishant Jain)
Joint Secretary to Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.174.-In exercise of the powers conferred by section 9-A of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that,-

1. interest and penalty payable on stamp duty shall be remitted in the following cases, namely:-
   (i) cases pending before the Collector (Stamps) upto the date of this notification in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 20.02.2020 to 30.06.2020.
   (ii) cases filed before Collector (Stamps) during the period from 20.02.2020 to 30.06.2020 in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 20.02.2020 to 30.06.2020.
   (iii) cases adjudicated by the Collector (Stamps) upto the date of this notification in which the stamp duty payable has been deposited during the period from 20.02.2020 to 30.06.2020.
   (iv) cases pending before the Rajasthan Tax Board, Rajasthan High Court or in any other Court upto the date of this notification wherein party withdraws the case and submits the evidence of such withdrawal and the stamp duty payable has been deposited during the period from 20.02.2020 to 30.06.2020.
2. cases where stamp duty adjudicated by the Collector (Stamps) has already been deposited before the date of this notification, 80 percent reduction in the amount of interest and penalty payable on stamp duty shall be allowed if the remaining 20 percent amount of interest and penalty has been deposited during the period from 20.02.2020 to 30.06.2020.
3. cases pending before the Rajasthan Tax Board, Rajasthan High Court or in any other Court wherein the total amount of stamp duty payable has been deposited before the date of this notification and the party withdraws the case and submits the evidence of such withdrawal, 80 percent reduction in the amount of interest and penalty payable on stamp duty shall be allowed if the remaining 20 percent amount of interest and penalty has been deposited during the period from 20.02.2020 to 30.06.2020.
4. the amount deposited under proviso to the section 65 of the said Act for filing revision before the Rajasthan Tax Board, shall be adjusted towards the payment of stamp duty.
5. in the aforesaid cases stamp duty or any other amount already paid shall not be refunded.

[No.F.4(4)FD/Tax/2020-125]
By order of the Governor,

(Nishant Jain)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.175.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.2(60)FD/Tax/2012/pt.-13 dated 31.05.2019, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on lease deed or sale deed, executed by State Government, Rajasthan Housing Board, Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Ajmer Development Authority, Urban Improvement Trust, Municipal Corporation, Municipal Council, Municipal Board, Krishi Upaj Mandi and Mandi Samiti, Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Rajasthan Industrial Development &

Investment Corporation (RIICO), Rajasthan State Cooperative Housing Federation or by any other authority or enterprises of the State Government, in respect of land allotted or sold by them, shall be reduced and charged as under :-

S. No.	Details	Stamp Duty Payable at the rate of Conveyance
1.	If the lease deed or sale deed is submitted for registration on or before 31.12.2020.	On the amount of premium and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any, on such instrument and the average amount of the rent of two years.
2.	If the lease deed or sale deed is submitted for registration after revalidation on or before 31.12.2020 and the proper stamp duty payable at the time of execution of such lease deed/sale deed has been paid.	On the 115% of the amount calculated for serial number 1 above.
3.	If the lease deed or sale deed is submitted for registration after revalidation on or before 31.12.2020 and the proper stamp duty payable at the time of execution of such lease deed/sale deed has not been paid.	On the 130% of the amount calculated for serial number 1 above.

Provided that this notification shall also be applicable on lease deeds or sale deeds pending for registration or reference before Sub-Registrar or adjudication before Collector (Stamps) or other Courts but stamp duty already paid according to the provisions of the said Act shall not be refunded:

Provided further that stamp duty payable under this notification shall not be more than the duty payable on the market value of the property of such lease deed or sale deed.

[No.F.4(4)FD/Tax/2020-126]
By order of the Governor,

(Nishant Jain)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.176.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.2(60)FD/Tax/2012/pt.-14 dated 31.05.2019, as amended from time to time, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on the lease deeds issued/executed by the State Government, Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Ajmer Development Authority, Urban Improvement Trust, Municipal Corporation, Municipal Council, Municipal Board, Gram Panchayat and other Local Bodies under the Rajasthan Urban Areas (Permission for use of Agricultural Land for Non-agricultural Purposes and Allotment) Rules, 2012, after allotment or regularization of the land placed at the disposal of the aforesaid Local Authorities under section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956, or under any other relevant rules shall be reduced and charged as under:-

S. No.	Details	Stamp Duty Payable at the rate of Conveyance
1.	If the lease deed is issued in favour of Khatedar himself.	On the amount of premium, development charges and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any.
2.	If the lease deed is issued in favour of a person other than Khatedar, on the basis of registered or duly stamped instrument.	On the amount of premium, development charges and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any.

3.	If the lease deed is issued in favour of a person on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.12.2018.	On the amount of premium, development charges, conversion charges and other charges paid in consideration including interest or penalty, if any, and the average amount of the rent of two years subject to condition that,- (i) the Urban Local Body concerned shall make endorsement on the lease deed or issue a certificate of this effect that lease deed has been issued on the basis of unregistered or insufficiently stamped instruments executed on or before 31.12.2018; (ii) the Urban Local Body concerned shall issue a certificate providing the number of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property related to such lease deed along with date of their execution and copies of such intermediary instruments; (iii) the lease holder along with his lease deed shall submit such certificates, before the Registering Officer; and (iv) the lease deed shall be presented for registration on or before 31.12.2020.
4.	If the lease deed mentioned in serial number 1 to 3 is not registered within 8 months from the date of execution but submitted for registration after revalidation on or before 31.12.2020 and the proper stamp duty payable at the time of execution of such lease deed has been paid.	On the 115% of the amount calculated for serial number 3 above.
5.	If the lease deed mentioned in serial number 1 to 3 is not registered within 8 months from the date of execution but submitted for registration after revalidation on or before 31.12.2020 and the proper stamp duty payable at the time of execution of such lease deed has not been paid.	On the 130% of the amount calculated for serial number 3 above.

Provided that this notification shall also be applicable on lease deeds pending for registration or reference before Sub-Registrar or adjudication before Collector (Stamps) or other Courts but stamp duty already paid according to the provisions of the said Act shall not be refunded.

Provided further that stamp duty payable under this notification shall not be more than the duty payable on the market value of the property of such lease deed.

[No.F.4(4)FD/Tax/2020-127]
By order of the Governor,

(Nishant Jain)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.177.-In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government being of the opinion that the circumstances require so to do, hereby orders that the existing rates of agriculture, residential and commercial categories of land recommended by the District Level Committee shall be re-determined and decreased by ten percent with effect from 20.02.2020.

[No.F.4(4)FD/Tax/2020-128]
By order of the Governor,

(Nishant Jain)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.178.-In exercise of the powers conferred by sub-rule (5) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government being of the opinion that the circumstances require so to do, hereby suspends the revision of rates of agriculture, residential and commercial categories of land for the financial year 2020-21 and the provisions of sub-rule (3) of rule 58 of the said rules shall not apply for the financial year 2020-21.

[No.F.4(4)FD/Tax/2020-129]
By order of the Governor,

(Nishant Jain)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.179.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-59 dated 14.07.2014, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the conveyance deed of immovable property executed in favour of a person with benchmark disability, as defined in clause (r) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016), shall be reduced and charged at the rate of five percent.

[No.F.4(4)FD/Tax/2020-130]
By order of the Governor,

(Nishant Jain)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.180.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the

public interest so to do, hereby makes the following amendments, with immediate effect, in this department's notification number F.4(15)FD/Tax/2014-58 dated 14.07.2014, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) in clause (i), for the existing expression "three percent", the expression "four percent" shall be substituted; and

(ii) in clause (ii), for the existing expression "four percent", the expression "five percent" shall be substituted.

[No.F.4(4)FD/Tax/2020-131]
By order of the Governor,

(Nishant Jain)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.181.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of sale certificate issued in case of auction sale of immovable property of sick enterprises as mentioned in item (a) and (b) of sub-clause (2) of clause 18 of the Rajasthan MSME Policy, 2015 shall be charged on auction price:

Provided that this notification shall also be applicable on the instruments pending for registration or reference before Sub-Registrar or adjudication before Collector (Stamps) or other Courts but stamp duty already paid according to the provisions of the said Act shall not be refunded.

[No.F.4(4)FD/Tax/2020-132]
By order of the Governor,

(Nishant Jain)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.182.-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 78 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and in supersession of this department's notification number F.2(36)FD/Tax/2017-74 dated 17.08.2017, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the registration fees chargeable in excess of rupees ten thousand on the instrument of transfer of immovable property of sick enterprises as mentioned in item (a) and (b) of sub-clause (2) of clause 18 of the Rajasthan MSME Policy, 2015, for the purpose of revival of such enterprises, shall be remitted on submission of entitlement certificate, before the Registering Officer, issued by the appropriate authority under the Rajasthan Sick Micro and Small Enterprises (Revival and Rehabilitation) Scheme, 2015.

[No.F.4(4)FD/Tax/2020-133]
By order of the Governor,

(Nishant Jain)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.183.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.4(3)FD/Tax/2017-114 dated 08.03.2017, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of transfer of immovable property of sick enterprises as mentioned in item (a) and (b) of sub-clause (2) of clause 18 of the Rajasthan MSME Policy, 2015, for the purpose of revival of such enterprises, shall be remitted on submission of entitlement certificate, before the Registering Officer, issued by the appropriate authority under the Rajasthan Sick Micro and Small Enterprises (Revival and Rehabilitation) Scheme, 2015:

Provided that this notification shall also be applicable on the instruments pending for registration or reference before Sub-Registrar or adjudication before Collector (Stamps) or other Courts but stamp duty already paid according to the provisions of the said Act shall not be refunded.

[No.F.4(4)FD/Tax/2020-134]
By order of the Governor,

(Nishant Jain)
Joint Secretary to the Government

FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 20, 2020

S.O.184.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.12(84)FD/Tax/2009-30 dated 08.07.2009, the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instruments of transfer of immovable property shall be reduced, with immediate effect, from 11 percent to 6 percent.

[No.F.4(4)FD/Tax/2020-135]
By order of the Governor,

(Nishant Jain)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February , 2020

S.O.185.-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/2 dated 10.07.2019, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(1) in column number 3 against serial number 11 of table,-

(i) against item (i) of column 2, for the existing entry "8.5% of the cost of the chassis", the entry "10% of the cost of the chassis" shall be substituted; and

(ii) against item (ii) of column 2, for the existing entry "7% of the cost of the vehicle", the entry "8% of the cost of the vehicle" shall be substituted; and

(2) in clause (vi) of the proviso, for the existing expression "one tenth", the expression "one fourth" shall be substituted.

[No.F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2020-21/2B]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION
Jaipur, February , 2020

S.O.186.-In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (c) of sub-section (1) of section 4 read with section 3 of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2019-20/3 dated 10.07.2019, as amended from time to time, with effect from 01.03.2020, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

(i) against serial number 2 of the table, the existing item (a) in column 2 and entries relating thereto in column 2 and column 3 shall be substituted by the following, namely:-

"

	(a) Sub-urban routes	
	(i) plying upto 200 km. per day	Rs. 150/- per seat per month
	(ii) plying more than 200 km. and upto 300 km. per day	Rs. 200/- per seat per month
	(iii) plying more than 300 km. per day	Rs. 300/- per seat per month

"

(ii) against serial number 7 of the table, the existing item (a) in column 2 and entries relating thereto in column 2 and column 3 shall be substituted by the following, namely:-

"

	(a) more than three wheeled motor vehicles plying on non-temporary permits	
	(i) with seating capacity more than 22 and upto 32	Rs. 900/- per seat per month
	(ii) with seating capacity more than 32	Rs. 775/- per seat per month
	(iii) sleeper bus	Rs. 510/- per seat per month

"

(iii) in clause (iv) of the proviso, for the existing expression "Rs. 14000/- per month", the expression "Rs. 10,000/- per month for vehicle with seating capacity more than 22 and upto 32 and Rs. 14,000/- per month for vehicle with seating capacity more than 32" shall be substituted; and

(iv) after the existing clause (vii) of the proviso, the following new clause (viii) shall be added, namely:-

"(viii) in case of vehicle falling under item (b) of column 2 against serial number 2 and having seating capacity upto 32, plying upto 40 km. in a day on the route lying between two municipalities and length of such route does not exceed 10

km., motor vehicle tax shall be payable at the rate of Rs. 100/- per seat per month."

[No.F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/2020-21/3C]
By Order of the Governor,

(Mahendra Kumar Khinchi)
Joint Secretary to the Government

Government Central Press, Jaipur